पत्रांक–2ब० / जला०–01–04 / 2016 2960 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।

कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक–13/6/19

विषय:– नगर निकायों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित चापाकलों को मरम्मति एवं सम्पोषण के संबंध में।

प्रसंग:– सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक– 1872, दिनांक– 24.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि नगर निकायों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित वैसे चापाकल, जिसकी मरम्मति एवं रख–रखाव की अवधि अभी चल रही है, उनकी मरम्मति एवं सम्पोषण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ऐसे चापाकलों की सूची संबंधित नगर निकायों को उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित कार्यपालक अभियंता को दिया जा रहा है।

नगर निकायों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित वैसे चापाकल, जिसकी मरम्मति एवं रख–रखाव की अवधि समाप्त हो गई है, उनकी मरम्मति एवं सम्पोषण नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि संबंधित लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल से समन्वय कर वांछित सूची प्राप्त करते हुए चापाकलों को चालू हालत में रखने हेतु उक्त दिशा–निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
11/6/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

D:\Section - 2 (19-20)\Anand\Letter\Letter- P. Sect..docx

233

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक– 6/वि01–1011/15– 1872 दिनांक– 24/5/19

प्रेषक,

जितेन्द्र श्रीवास्तव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग
पटना, बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
पटना, बिहार।

3951
24-05-19

24 MAY 2019
प्राप्ति तिथि

विषयः– नगर निकाय क्षेत्रों में निर्मित चापाकलों के मरम्मति एवं सम्पोषण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभाग द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री चापाकल योजनान्तर्गत माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा/परिषद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में चापाकलों का निर्माण कराया गया है, जिनमें निर्माण के साथ–साथ 3वर्ष/5वर्ष तक मरम्मति एवं सम्पोषण का कार्य शामिल था। वर्ष–2013–14 तक निर्माण कराये गये चापाकलों की मरम्मति एवं सम्पोषण की संवेदको के साथ एकरारनामा अवधि समाप्त हो चुकी है। वर्ष–2014–15 एवं वर्ष–2015–16 में स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत निर्मित चापाकलों में निर्माण के पश्चात 5 वर्षो की मरम्मति एवं सम्पोषण की अवधि अभी चल रही है।

वैसे चापाकल जिनकी मरम्मति एवं रख–रखाव की संविदा प्रभावी है, उनकी मरम्मति लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं के माध्यम से ही कराया जाना श्रेयष्कर है। कार्यपालक अभियंताओं को वर्तमान में प्रभावी संविदा अंतर्गत निर्मित चापाकलों की सूची संबंधित नगर निकयों को उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया जा रहा है।

अतः उक्त के आलोक में सभी नगर निकायों को उनके क्षेत्र में अवस्थित शेष सभी सरकारी चापाकलों की मरम्मति कराने हेतु अपने स्तर से आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय। इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
23/5
(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
सचिव

27 MAY 2019
5670

1328
28/5/19